न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–10 / 2025

तारीख दायर–17.02.2025

तारीख–निर्णय–08.05.2026

1. श्री गोतम पिता केसीया उर्फ केसा मीणा निवासी दोबडीचा (बरूतलाई) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री देवा पिता केसीया उर्फ केसा मीणा निवासी दोबडीचा (बरूतलाई) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

............अप्रार्थी

उपस्थित–प्रार्थी की ओर से– अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा
अप्रार्थी की ओर से–श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: :निर्णय : :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा ग्राम दोबडिचाा पटवार हल्का ढाईखेडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र देवलीया में खाता संख्या नया 01 व पुराना 0 की निम्नांकित आराजीयात् स्थित है खसरा संख्या 860 क्षैत्रफल 15.850 हैक्टेयर उक्त पुरानी आराजी संख्या 315 में से ऐलोटमेंट प्रार्थीगण के पिता पुजा पिता वीरम मीणा के नाम पर आराजी 315 / 8 रकबा 10 बीघा हुई । उस समय जब गांव दोबडीचा पटवार हल्का बेडावल भू.अ. निरीक्षक भबराना तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर था । गांव दोबडीचा में सेंटलमेंट के समय आराजी संख्या 315 / 8 को मिटाकर उस स्थानप र आराजी संख्या 860 बनाई । नक्शा में पहले बेठे थें वही पर प्रार्थीगण बैठे है।और प्रार्थीगण के पिता का नाम हटाकर बिलानाम कर दिया जबकी प्रार्थीगण का मकान बना हुआ है। कुआ खोद रखें है खेतों की पालिया डाल रखी है और कई वर्षो से खेती कर रहें है। उक्त त्रुटी लिपिकिय भूल से हुई है जिससे दुरस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त भूल एक मानवीय भूल है जो सेंटलमेंट के समय गलती से बिलानाम दर्ज कर दिया । वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम दोबडीचा पटवार हल्का ढाईखेडा भू.अ. नि.क्षैत्र देवलीया तहसील लसाडिंया जिला सलूम्बर में स्थित होकर प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार आप न्यायालय का होने से उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सही करने का आदेश फरमावे ।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णीत पुरानी आराजी नम्बर 315 / 8 रकबा 10 बीघा भूमि श्री पुजा पिता विरम मीणा के नाम आवंटन होनो अंकित है। जबकी राजस्व रेकॉर्ड अनुसार ग्राम दोबडीचा की आराजी नम्बर 315 / 8 रकबा 08 बिघा भूमि श्री लाला पिता अमरा मीणा के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व राजस्व रेकॉर्ड विरोधाभास है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

ा बहस सुनी गई. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना
ं जवाब प्रार्थना पत्र. में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया. । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से र्थना पत्र साबित नही पाये जाने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतित ाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही पाये जाने से अस्वीकार किया जाता है।

:—आदेशः—

तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व प्रार्थी के **समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व राजस्व रेकॉर्ड में विरोधाभास होने की स्थिति में प्रकरण अस्वीकार किया** जाकर पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर